

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

नाथू

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार सा०

किस्म मुकदमा


प्राप्त

नं०

41

सन्

2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
15 ⁰⁶ / ₂₃	<p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 05/07/2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा</p>	
15 ⁰⁶ / ₂₀₂₃	<p>पत्रावली द्वारा दिनांक के महंगाई सहित केम्प (प्रशासन जोकों के स्वंग अभियान-2023) स्थान भारत निर्माण राष्ट्रीय गांधी सेवा केन्द्र ग्रामपं. टोको का पुठारिया में पेश हुई अप्रार्थी पेशेकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा केम्प शिविर के उपस्थित तहसीलदार रावतभाटा ने प्रोपत्र धारा-12870 लेबर एक्ट पर पत्थरगद्दी लिए जाने पर जवाब देने से इन्कार कर No-objection प्रस्तुत किया तथा पत्थरगद्दी लिए जाने में सहमति व्यक्त की। प्रार्थी स्वयं केम्प में उपस्थित हो प्रोपत्र पर पत्थरगद्दी लिए जाने के आदेश दिए जाने का विवेक किया। उक्त फैसले सुन गया। मन्त किया गया। प्रार्थी का प्रोपत्र प्रकीर्ण भोग्य पामा जाता है। अतः प्रार्थी के प्रोपत्र प्रकीर्ण किया जाना निर्णय प्रथम से लिया जाकर केम्प स्थल पर सुनाया गया। पत्रावली केसल नुमांर लेकर दर्ज रजिस्टर की जाकर नम्बर से इसकी जाकर शामिल दफ्तर को</p>	

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)